उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी–**69** /ऋण/2017–18 दिनांक–**01.12.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2017–18 मे प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–34/ऋण–लक्ष्य/(एल–13)/2017–18 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा शाखाओ के उददे्श्यवार ऋण वितरण समय निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र के बिन्दु 8 पर निर्देशित किया गया है कि शाखाओ द्वारा जिन उददे्श्यो मे ऋण वितरण किया जाय, शाखा प्रबंधक एवं पत्रावली तैयारकर्ता स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि ऋण राशि का पूर्ण सदुपयोग कराते हुए ऋण लाभार्थी द्वारा ऋण राशि से परिसम्पत्ति सृजित करायी जाय, ताकि वितरित ऋणो की वसूली शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। शाखाओ द्वारा वितरित ऋणो का दुरूपयोग रोकने तथा वस्ली अपेक्षाकृत न होने के कारण मुख्य महाप्रबन्धक (नाबार्ड) के पत्रांक रा0बै0लखनऊआईडीडी/1016/प्र0का0/2017–18 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 की कार्यवृत्ति हेतु सुझाव दिये गये है कि ''ऋण वितरण का दुरूपयोग रोका जाय तथा बैक ऋण दुरूपयोग के मामलो मे त्वरित कार्यवाही की जाय''।

प्रधान कार्यालय द्वारा ऋण वितरण मे पूर्ण गुणवत्ता,पारदर्शिता एवं समयबद्ध ऋण वितरण करने के सम्बंध मे समय–समय पर अनेको परिपत्र एवं पत्रो के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये है, प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–60/सत्यापन/2014–15 दिनांक 28.10.2014 एवं परिपत्र सं0 सी–26/ऋण/ऋणनीति/2015–16 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिये गये है कि वितरित ऋणो का सत्यापन अन्तिम किश्त के भुगतान के 15 दिन के अन्दर करते हुए सत्यापन रिपोर्ट सम्बंधित ऋण पत्रावली में संलग्न की जाय। प्रायः यह देखने मे आया है कि ऋण पत्रावलियो मे अन्तिम सदुपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूप से संलग्न नही किया जाता है। अतः सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शाखा द्वारा प्रत्येक वितरित ऋण के केसों मे शत प्रतिशत अन्तिम सदुपयोगिता पमाण पत्र लगाना सुनिश्चित करे साथ ही ऋण राशि से सृजित परिसम्पत्ति का समय समय पर अनुश्रवण किया जाय। यदि ऋण लाभार्थी द्वारा ऋणराशि का कतिपय कारणो से दुरूपयोग की स्थिति संज्ञान मे आती है तो एकमुश्त वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अतः आपको सचेत करते हए निर्देशित किया जाता है कि बैंक ऋणो मे गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं ऋण राशि से परिसम्पत्ति सृजित करते हुए बैंक की संचालित विभिन्न योजनाओ मे शाखा के कार्य क्षेत्र मे उपलब्ध संभावनाओ व योजनाओ को दृष्टिगत रखते हुए ऋण वितरित किया जाय। विशेष रूप से यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वितरित ऋण किसी भी दशा मे एनपीए न होने पाये अर्थात ऐसी योजनाओ/उददे्श्यो मे ऋण वितरण किया जाय जिसकी वसूली शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।

यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऋ़ण वितरण का दुरूपयोग होने पर सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

ह0/–
(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की ई–मेल पर अपलोड करने हेत।
2. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारी,उ0प्र0 सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।

ह0/–
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/ऋण)